बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
।। आदेश ।।

संख्याः–6 / वि० 9–194 / 2023.................. पटना,दिनांकः–..............................

विभागीय पत्रांक 211 दिनांक 15.02.2023 द्वारा जमुई जिला अंतर्गत झाझा प्रखंड के भूमिहीन विद्यालयों को निकट के विद्यालय / टैग विद्यालय के साथ संविलियन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 56(SSA) दिनांक 10.01.2026 द्वारा जमुई जिला अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कुबरी यादव टोला जिसका वर्तमान में भूमि उपलब्ध है एवं भवन निर्माण किया जा चुका है, उसे संविलियन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1240 दिनांक 30.07.2026 द्वारा प्रस्तावित विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संविलियन से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग का उपलब्ध कराया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में समीक्षोपरांत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कुबरी यादव टोला जिनका भवन निर्माण कराया जा चुका है, को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, सैलजा से (शिक्षक इकाई सहित) संविलियन से मुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि विद्यालय हेतु निर्मित भवन में कक्षा का संचालन करवाना सुनिश्चित किया जाय।

शिक्षा विभाग के पत्रांक 942 दिनांक 21.02.2018 में विहित प्रावधान के आलोक में संविलियन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई को निरस्त किये जाने तथा संविलियन से मुक्त किये जाने की समुचित आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

उपरोक्त आदेश पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० /
(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 6 / वि० 9–194 / 2023....1609...... पटना, दिनांक 10/8/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / राज्य परियोजना निदशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना / निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी / संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।